पटना समाहरणालय, पटना।
(पंचायत शाखा)
आदेश

यह मामला श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय फुलवारीशरीफ (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के अन्तर्गत कार्रवाई से संबंधित है।

संक्षिप्त विवरण:–

दिनांक	आदेश

निदेशक पंचायत राज, बिहार, पटना के पत्र संख्या–4प/सं0–1–1019/2007–3697/ग्राम पं0 पटना, दिनांक 06.08.2007 के साथ प्राप्त निगरानी विभाग के प्रतिवेदनानुसार निगरानी थाना कांड संख्या 86/07 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सुईथा/सकरैचा, फुलवारीशरीफ प्रखंड को दिनांक 18.7.2007 को 500/– (पांच सौ) रू0 रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9, (2)(क) के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञापांक 954/पं0, दिनांक 30.08.2007 के द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, तत्कालीन पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर से श्री शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उसकी चार प्रतियों की मांग की गयी थी।

अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के पत्रांक 838 दिनांक 29.02.2008 से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर कार्यालय ज्ञापांक 656/पं0, दिनांक 22.05.2008 के द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राकेश कुमार, उप समाहर्ता भूमि सुधार, पटना सदर को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए 30 दिनों के अभ्यन्तर प्रतिवेदन –सह– मंतव्य की मांग की गयी। इस बीच श्री शर्मा कारा मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 11.01.2008 से प्रखंड कार्यालय, फुलवारीशरीफ में योगदान कर कार्यरत थे।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त संचालन पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के पत्रांक 316 दिनांक 16.06.2009 के द्वारा संचालन पदाध्णिकारी का मंतव्य –सह– प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें मंतव्य दिया गया है कि "निगरानी विभाग के अंतिम जांच के पूर्व श्री शर्मा को दोषी मानना न्यायोचित नहीं होगा बल्कि निगरानी विभाग से संबंधित न्यायालय यदि श्री शर्मा को दोषी करार देती है तभी उन्हें दोषी माना जाना न्यायोचित होगा।" इस प्रकार प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के प्रमाणित होने अथवा नहीं होने संबंधी कोई मंतव्य नहीं दिया गया। पुनः इस मंतव्य पर भी तत्कालीन जिलाधिकारी का कोई आदेश संचिका में नहीं हो सका है।

उपरोक्त स्थिति में संचिका के माध्यम से मामला दिनांक 31.01.2014 को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आने पर कार्यालय ज्ञापांक 189/पं0, दिनांक 01.02.2014 के द्वारा आरोप की गंभीरता, चल रही विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय नहीं होने एवं श्री शर्मा के 31.01.2013 को ही सेवानिवृत्ति को देखते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही चलते रहने का आदेश दिया गया। चूंकि संचालन पदाधिकारी स्थानान्तरित हो चुके थे। इस कारण श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना प्रस्तोता पदाधिकारी बनाये गये।

अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 141 दिनांक 24.05.2014 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही के विधिवत संचालन के पश्चात प्रतिवेदन –सह– मंतव्य प्राप्त है जिसके अनुसार श्री शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। श्री शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है :–

आरोप का विवरण	आरोपी का स्पष्टीकरण	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3
1) दिनांक 04.02.2006 को फुलवारीशरीफ प्रखंड में योगदान दिये हैं। आप ग्राम पंचायत सकरैचा एवं ग्राम पंचायत सुईथा के पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत है।	अप्राप्त	आरोपी पर निगरानी विभाग थाना कांड संख्या 86/07, आरोप पत्र संख्या 208/07 के कंडिका 16 द्वारा श्री कृष्णा प्रसाद के लिखित आवेदन एवं सत्यापनकर्ता, स0अ0नि0 सुजाता पंडित के सत्यापन के आधार पर आवास लोन हेतु 500/– रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप है।

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 954/पं0, दिनांक 30.08.2007 के अनुसार निगरानी विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर कांड संख्या 86/07 के अनुसार 500/– रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त है। 2) श्री देवपूजन राम, पुलिस निरीक्षक, निगरानी विभाग, थाना कांड संख्या–086/87 आरोप पत्र संख्या 208/07 के कंडिका 16 द्वारा आपको श्री कृष्णा प्रसाद के लिखित आवेदन एवं सत्यापनकर्ता स0अ0नि0 सुदाता पंडित के सत्यापन के आधार पर आवास लोन लेने हेतु 500/– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गये। आपको निगरानी विभाग के पत्र संख्या 208/07 दिनांक 14.09.2007 द्वारा ग्रा0नि0अधिनियम 1988 के धारा 07/13 (2) धारा 13 (1) (डी0) के अभियुक्त है। आप दिनांक 18.07.2007 से दिनांक 10.01.2008 तक बेउर जेल में अनुसंधान के क्रम में हिरासत में थे। 3) मंजू झा, पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्र संख्या 3137 दिनांक 24.07.2007 के अनुसार कांड सम्प्रति अनुसंधान्नागत है। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संलग्न है।		आरोपी को अपना पक्ष रखने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 44 दिनांक 05.02.2014 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। आरोपी द्वारा दिनांक 17.02.2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण–पृच्छा दायर करने हेतु 15 दिनों के समय की मांग की गयी। आरोपी के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए उन्हें समय प्रदान किया गया। पुनः आरोपी द्वारा दिनांक 03.03.2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर आरोप की एक प्रति की मांग की गयी तथा पुनः अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिनों के समय की मांग की गयी । आरोपी के अनुरोध को पुनः स्वीकृत करते हुए आरोप पत्र की प्रति उन्हें प्राप्त कराया गया। लेकिन आरोपी द्वारा सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियों को इस न्यायालय में उपस्थित होकर, मामले को लंबित रखने के उद्धेश्य से अपना पक्ष नहीं रखा गया। आरोपी द्वारा किये गये याचना पर प्रस्तोता पदाधिकारी –जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 86/07 से संबंधित कागजात आरोपी को अपने पत्रांक 510 दिनांक 30.04.2014 द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद भी आरोपी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे है। साक्ष्यों एवं तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी निगरानी विभाग थाना कांड संख्या 86/07, आरोप पत्र संख्या 208/07 के कंडिका 16 द्वारा श्री कृष्णा प्रसाद के लिखित आवेदन एवं सत्यापनकर्ता, स0अ0नि0 के सत्यापन के आधार पर 500/– रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गये एवं ग्रा0नि0 अधिनियम 1988 के धारा 07/13 (2) एवं धारा 13(1) (डी0) के अभियुक्त है। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

निष्कर्षः–

आरोपी कर्मी पर गठित प्रपत्र 'क' प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना एवं संचालन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, पटना का अधिगम अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रपत्र 'क' में आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं।

उपर्युक्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आधार पर कार्यालय पत्रांक 750/पं0, दिनांक 03.07.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। इसके आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 21.07.2014 को अधोहस्ताक्षरी को द्वितीय कारण–पृच्छा में आरोपी द्वारा दिये गये तर्क संतोषजनक एवं नियमसंगत नहीं रहने के कारण संचालन पदाधिकारी के मंतव्य/प्रतिवेदन से सहमत है।

इस तरह यह मामला श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखंड–फुलवारीशरीफ के विरूद्ध लगाया गया आरोप एक ऐसे Miscoundct को सिद्ध करता है, जो सरकारी सेवक सें अपेक्षित नहीं है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध चलायी जा रही निरन्तर मुहिम के आलोक में अपेक्षा की जाती है कि सरकारी सेवक का आचरण Beyond Reproach हो। श्री सुरेन्द्र शर्मा का आचरण एक गंभीर कदाचार है, जिसके लिए वे वृहत दण्ड के भागी है।

अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखंड–फुलवारीशरीफ सम्प्रति प्रखंड कार्यालय मोकामा (सेवानिवृत्त दिनांक 31.01.2013) को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ देना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप **बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (ख)** में निहित प्रावधानुसार मैं अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, पटना श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ श्री सुरेन्द्र शर्मा, पंचायत सचिव (सेवानिवृत्त) प्रखंड कार्यालय मोकामा को वृहत दण्ड स्वरूप आदेश निर्गत की तिथि से पेंशन की सम्पूर्ण राशि जीवनपर्यन्त रोकने का दण्ड देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा (सेवानिवृत्त) से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:–

1.	नाम	:–	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा
2.	पिता का नाम	:–	श्री सूर्यदेव शर्मा
3.	पदनाम	:–	पंचायत सचिव
4.	जन्म तिथि	:–	04.01.1953
5.	नियुक्ति की तिथि	:–	25.01.1986
6.	वेतनमान	:–	3200–4900
7.	सेवानिवृत्ति की तिथि	:–	31.01.2013
8.	स्थायी पता	:–	ग्राम–सतपरसा, पो0–हजरत साईं, प्रखंड–धनरूआ

ह0/–

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता
पटना

ज्ञापांक 164 /पं0, दिनांक 11.02.2015

प्रतिलिपिः– श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, मोकामा स्थायी पता–ग्राम–सतपरसा, पो0–हजरत साईं, प्रखंड–धनरूआ, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखंड कार्यालय मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उक्त दण्ड को श्री सिंह के सेवापुस्त में अंकित करना सुनिश्चित करें। श्री शर्मा की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसका तामिला श्री शर्मा को अविलम्ब कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पटना/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, पटना/आई0टी0 मैनेजर, पटना को सूचनार्थ एवं पटना जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समाहरणालय, पटना के सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी/जिला स्थापना उप समाहर्ता, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिलाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता
पटना